न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)–जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 38/2013
3. उनवान : राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर । –प्रार्थी

बनाम

1. निर्मला देवी पत्नी भवानी शंकर जाति अग्रवाल निवासी 41, गोलाघाटा वी.आई.पी. रोड कलकत्ता।
2. शिखा सिंघल पत्नी कमल सिंघल जाति महाजन निवासी बी–2, संजय कोलोनी नेहरू नगर जयपुर।
3. विजया सदाशिवन पत्नी ए0 सदाशिवन निवासी 10 मोती नगर झोटवाडा जयपुर
4. गुड्डी देवी पत्नी संतोष कुमार महाजन निवासी 50 परिवहन नगर खातीपुरा रोड जयपुंर।
5. पुष्पा मित्तल पत्नी नरेन्द्र कुमार मित्तल जाति महाजन निवासी वैशाली नगर जयपुर।
6. प्रेमलता पत्नी परसराम गुप्ता निवासी कांवट जिला सीकर।
7. ईशर, नानूराम, गजानन्द पि0 कल्याण जाति जाट सा0 देह

–अप्रार्थीगण

4. निर्णय दिनांक : 28.04.2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री भगवान सहाय शर्मा अप्रार्थीसं0 2, 3, 4, व 7 की ओर से।
   स) अधिवक्ता श्री संजय कुमार राजोरिया अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से।

निर्णय

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 व धारा 88 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी तहसीलदार जयपुर हाल तहसील कालवाड द्वारा न्यायालय के समक्ष ग्राम निमेडा के खसरा नंबर 332/577 रकबा 02 बीघा जो कि डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मा0 -उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के बिन्दु संख्या 4 में वर्णित झील, तालाब, जलाशय, नदी व नाले की भूमि है, जो याचिका के बिन्दु संख्या 1 व 4 के अनुसरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 व 88 के अन्तर्गत रेफरेंस प्रस्तुत किया गया कि ग्राम निमेडा के खसरा नंबर 332 रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा की भूमि मिसल बंदोबस्त 2015–2034 के अनुसार राजकीय खाते में गै.मु. (नदी, नाले, तलाई, तालाब आदि) दर्ज थी। जिसे कालांतर में नामान्तकरण संख्या 43 दिनांक 30.06.64 के डिक्री आदेश से खातेदारी दर्ज हुई है। उक्त आराजी में तत्पश्चात स्थानान्तरण होकर खातेदारी निम्नानुसार है:–

1. नामा0 सं0 43/30–06–64 के द्वारा (डिक्री आदेश से) सुखा पुत्र भोमा, नारायण पुत्र सुखा जाति जाट के नाम रिकॉर्ड दर्ज हुआ है।
2. ना0सं0 108/17–7–77 (विभाजन) से 2 बीघा की खातेदारी कल्याण पुत्र सुखा जाति जाट के नाम दर्ज हुई।
3. ना0 सं0 356 (विरासत) से कल्याण पुत्र सुखा के बजाय ईशर, गजानन्द, नानूराम पि0 कल्याण जाति जाट के नाम रिकॉर्ड दर्ज हुई।
4. ना0 सं0 522/5–10–04 (विक्रय) से निर्मला देवी पत्नी भवानी शंकर जाति अग्रवाल नि0 41, गोलाघाटा वी.आई.पी. रोड कलकत्ता हि0 1/8 शिखा सिंघल

अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

पत्नी कमल सिंघल जाति महाजन हि0 9/160 नि0 बी–2, संजय कोलोनी नेहरू नगर जयपुर, विजया सदाशिवन पत्नी ए0 सदाशिवन हि0 1/16 निवासी 10 मोती नगर झोटवाडा जयपुर, गुड्डी देवी पत्नी संतोष कुमार महाजन हि0 1/40 नि0 परिवहन नगर खातीपुरा रोड जयपुर, पुष्पा मित्तल पत्नी नरेन्द्र कुमार मित्तल हि0 9/160 नि0 वैशाली नगर जयपुर के नाम दर्ज हुई। ना0सं0 559/07–03–05 (विक्रय) से प्रेमलता पत्नी परसराम गुप्ता जाति महाजन निवासी कांवट जिला सीकर हि0 6/40 एवं ईशर, गजानन्द, नानूराम पि0 कल्याण हि0 27/40 जाति जाट सा0 देह दर्ज हुआ जो बदस्तूर चला आ रहा है।

उक्त भूमि गै0मु0 तलाई की भूमियों जो परम्परागत पानी बहाव क्षेत्र में होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित है एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 88 के अन्तर्गत होने पर खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं है।

अन्त में प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 को स्वीकार फरमाकर वर्णित भूमि को राजकीय घोषित करते हुए किस्म भूमि पूर्वानुसार किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र के संलग्न खतौनी जमाबंदी संवत 2015 से 2034, 2060 से 2063 तथा नामान्तकरण संख्या 108, 356, 461, 522, 559 एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात की प्रमाणि प्रति पेश की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4, व 7 की ओर से अधिवक्ता भगवान सहाय शर्मा तथा अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय कुमार राजोरिया उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1 व 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं, जिनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने कथन किया कि ग्राम निमेडा के खसरा नंबर 332 रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा की भूमि मिसल बंदोबस्त 2015–2034 के अनुसार राजकीय खाते में गै.मु. तलाई दर्ज थी। जिसे नामान्तकरण संख्या 43 दिनांक 30.06.64 को न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर के मु0सं0 10/1960 डिक्री दिनांक 30/03/1964 की पालना में खातेदारी सुखा पुत्र भोमा, नारायण पुत्र सुखा जाति जाट के नाम दर्ज हुई। तत्पश्चात स्थानान्तरण होकर ना0सं0 108 दिनांक 17–7–77 विभाजन से 2 बीघा की खातेदारी कल्याण पुत्र सुखा जाति जाट, ना0 सं0 356 विरासत से कल्याण पुत्र सुखा के बजाय ईशर, गजानन्द, नानूराम पि0 कल्याण के नाम रिकॉर्ड दर्ज हुई। ना0 सं0 522/5–10–04 विक्रय से निर्मला देवी पत्नी भवानी शंकर हि0 1/8, शिखा सिंघल पत्नी कमल सिंघल हि0 9/160, विजया सदाशिवन पत्नी ए0 सदाशिवन हि0 1/16, गुड्डी देवी पत्नी संतोष कुमार महाजन हि0 1/40, पुष्पा मित्तल पत्नी नरेन्द्र कुमार मित्तल हि0 9/160 के नाम, ना0सं0 559 दिनांक 07–03–05 विक्रय से प्रेमलता पत्नी परसराम गुप्ता हि0 6/40 एवं ईशर, गजानन्द, नानूराम पि0 कल्याण हि0 27/40 जाति जाट सा0 देह दर्ज हुआ निरन्तर चला आ रहा है। उक्त भूमि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 की पालना में तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत भूमि को राजकीय घोषित करते हुए किस्म भूमि पूर्वानुसार किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4, व 7 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि खसरा नम्बर 332 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम नीमेडा तत्कालीन तहसील जयपुर हाल तहसील कालवाड के बाबत् पूर्व मे दिनांक 05.05.2007 को सरकार जरिये तहसीलदार द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या 186/2007 राजस्थान सरकार बनाम मन्जू अग्रवाल पेश किया जो जिला कलक्टर द्वारा उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दिनांक 27.06.2008 को निर्णित किया जाकर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर राजस्थान को रेफर किया गया। न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 05.02.2020 को रेफरेन्स अस्वीकार किया जाकर जिला कलक्टर जयपुर को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया गया कि राजस्व रिकोर्ड के अनुरूप सही रेफरेन्स प्रस्तुत करें। आराजी खसरा नम्बर 332 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा, जिसके बाबत् निर्णय एवं डिकी से प्राप्त खसरा नम्बर 332/578 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा गैर मुमकिन तलाई के बाबत् रेफरेन्स प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर को किया गया, जो अन्तरित

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय) जयपुर

होकर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर, द्वितीय के समक्ष प्रकरण दर्ज किया गया तथा रेफरेन्स दिनांक 29.11.2019 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रेषित किया गया। उक्त भूमि के संबंध में सरकार बनाम मन्जू अग्रवाल में निर्णय दिनांक 05/02/2020 पारित किया गया। अतः प्रकरण में ही निर्णय पारित हो जाने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 6 ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम निमेडा के खसरा नम्बर 332 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा के संबंध में पूर्व में ही सरकार बनाम मन्जू अग्रवाल में निर्णय दिनांक 05/02/2020 पारित किया जा चुका है। उक्त भूमि पंजीबद्ध विक्रय द्वारा हि0 6/40 प्राप्त हुई है, जो पूर्णतः विधि अनुसार नामान्तरण दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र ग्राम निमेडा के खसरा नंबर 332/577 रकबा 02 बीघा के संबंध में विचाराधीन है। नामा0 सं0 43 दिनांक 30–06–64 के द्वारा सुखा पुत्र भोमा, नारायण पुत्र सुखा जाति जाट के नाम रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। ना0सं0 108 दिनांक 17–7–77 से 2 बीघा की खातेदारी कल्याण पुत्र सुखा जाति जाट के नाम दर्ज हुई। ना0 सं0 356 से कल्याण पुत्र सुखा के बजाय ईशर, गजानन्द, नानूराम पि0 कल्याण जाति जाट के नाम रिकॉर्ड दर्ज हुई। तत्पश्चात ना0 सं0 522 दिनांक 5–10–04 से निर्मला देवी पत्नी भवानी शंकर हि0 1/8, शिखा सिंघल पत्नी कमल सिंघल हि0 9/160, विजया सदाशिवन पत्नी ए0 सदाशिवन हि0 1/16, गुड्डी देवी पत्नी संतोष कुमार महाजन हि0 1/40, पुष्पा मित्तल पत्नी नरेन्द्र कुमार मित्तल हि0 9/160 के नाम दर्ज हुई। ना0सं0 559 दिनांक 07–03–05 विक्रय से प्रेमलता पत्नी परसराम गुप्ता हि0 6/40 एवं ईशर, गजानन्द, नानूराम पि0 कल्याण हि0 27/40 सा0 देह दर्ज हुआ जो राजस्व रिकॉर्ड में चला आ रहा है।

जमाबंदी संवत 2015–2034 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि गै.मु. तलाई दर्ज थी। उक्त भूमि पूर्व में राजकीय खाते में दर्जशुदा थी, जिसकी किस्म भूमि गै0मु0 तलाई दर्ज थी। मा0 उच्च न्यायालय के प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 02/08/2004 की पालना में तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार उक्त भूमि किस्म गै0मु0 तलाई सिवायचक होने के कारण आवंटन नियमन हेतु प्रतिबंधित है। उक्त भूमि को पूर्वानुसार गैर मुमकिन तलाई सिवायचक राजकीय खाते में दर्ज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

अतः तहसीलदार जयपुर हाल तहसीलदार कालवाड का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निमेडा के खसरा नंबर 332/577 रकबा 02 बीघा भूमि की किस्म पूर्वानुसार गै0 मु0 तलाई सिवायचक की जाकर राजकीय खाते में दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 28.04.2025 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर